(वाद सं० – BHRC/Comp.1737/2019)

02.06.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सियाराम भगत के 21 वर्षीय पुत्र, मनोज कुमार, के विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु के कारण अनुमान्य मुआवजा की राशि का अब तक भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी,सुपौल से प्रतिवेदन की माँग की गई। जिला पदाधिकारी, सुपौल के अद्यतन प्रतिवेदनानुसार ‘‘प्रसंगाधीन मामले में मृतक की आश्रित माता, प्रमिला देवी को **04 (चार) लाख रूपये मुआवजा की राशि का भुगतान दिनांक–21.05. 2022 को विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सुपौल के द्वारा किया जा चुका है।’’**

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में परिवादी के मृतक पुत्र के विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु के संबंध में अनुमान्य मुआवजा की राशि का भुगतान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी, सुपौल के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, सुपौल के प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ–70/प0) संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक